भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2315**
10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

**विषय: परम्परागत कृषि विकास योजना**

**2315. श्रीमती सुप्रिया सुलेः**
**श्री अमर शरदराव कालेः**
**डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः**
**श्री संजय दीना पाटिलः**
**श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः**
**श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः**
**श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः**
**श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः**
**प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत देश में परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या उक्त योजना को बढ़ावा देने और कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रशिक्षण सत्र, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित किए गए हैं;
(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में आयोजित प्रशिक्षण सत्रों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों का ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र सहित देश में उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले छोटे और सीमांत किसानों का प्रतिशत कितना है;
(घ) महाराष्ट्र राज्य में परंपरागत कृषि के तहत कुल भू-क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है;
(ङ) प्रमाणित जैविक खेती के माध्यम से वाणिज्यिक जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे पीकेवीवाई का ब्यौरा क्या है और इसके तहत क्या उपाय किए जा रहे हैं और इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या प्रगति हुई है; और
(च) देश में परंपरागत कृषि के विकास के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं और परंपरागत कृषि में लगे किसानों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क): वर्ष 2019-2020 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 8 राज्यों में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) के रूप में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत प्राकृतिक खेती के एक घटक की शुरुआत की, जिसे दिनांक 25.11.2024 को "राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन" (एनएमएनएफ) के रूप में उन्नत किया गया है।

वर्ष 2020-21 से बीपीकेपी के तहत देश में स्वीकृत क्षेत्र नीचे दिया गया है:

| **राज्य** | **क्षेत्रफल हेक्टेयर में** |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 100000 |
| छत्तीसगढ | 85000 |
| केरल | 84000 |
| हिमाचल प्रदेश | 12000 |
| झारखंड | 3400 |

| | |
|---|---|
| ओडिशा | 24000 |
| मध्य प्रदेश | 99000 |
| तमिलनाडु | 2000 |
| कुल | 409400 |

(ख) एवं (ग): जी हां, बी.पी.के.पी. के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्य द्वारा आयोजित/आयोजित प्रशिक्षण सत्रों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों का विवरण और लाभार्थी स्तर का डेटा (छोटे और सीमांत किसानों का विवरण) केवल राज्य स्तर पर ही रखा जाता है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बी.पी.के.पी. के तहत प्राकृतिक खेती का विकल्प नहीं चुना है। हालांकि, महाराष्ट्र द्वारा जैविक खेती के तहत निम्नलिखित प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं:

| **प्रशिक्षण/सत्र का नाम** | **प्रशिक्षण की संख्या** |
|---|---|
| केवीके स्तर का प्रशिक्षण | 136 |
| ग्राम स्तर का प्रशिक्षण | 442 |
| **कुल** | **578** |

(घ) एवं (ङ): एनएमएनएफ को महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लिए दिनांक 25.11.2024 को मंजूरी दी गई है।

पीकेवीवाई योजना जैविक किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और क्लस्टर दृष्टिकोण द्वारा विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करती है। योजना का प्राथमिक फोकस जैविक क्लस्टर (पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त ) बनाना है ताकि उन्हें विपणन पर मजबूत फोकस के साथ मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिल सके।

पीकेवीवाई के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 3 वर्षों के लिए 31500 रुपये/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 15000 रुपये/हेक्टेयर/3 वर्ष सीधे किसानों को डीबीटी के माध्यम से ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रदान किए जाते हैं। विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन और अन्य विपणन पहलों के लिए 3 वर्षों के लिए 4500 रुपये/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त , प्रमाणन और अवशेष विश्लेषण के लिए 3 वर्षों के लिए 3000 रुपये/हेक्टेयर प्रदान किए जाते हैं। योजना के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 3 वर्षों के लिए 9000 रूपए /हेक्टेयर की दर से सहायता भी प्रदान की जाती है।

वर्ष 2015-16 से, पीकेवीवाई के तहत, 25.30 लाख किसानों को शामिल करते हुए 52289 क्लस्टर विकसित करके 14.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त , 8 राज्यों ने जैविक उत्पादों के लिए अपने स्वयं के ब्रांड विकसित किए हैं। वर्ष 2015-2016 से 2023-2024 तक, इस योजना के तहत 2170.30 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
वर्ष 2015-16 से 2024-2025 तक दिनांक 06.12.2024 तक कवर किए गए क्षेत्र, लाभान्वित किसानों की संख्या और पीकेवीवाई के तहत जारी किए गए फंड के संदर्भ में प्रगति का राज्यवार विवरण **अनुबन्ध** में दिया गया है।
(च): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को एक स्वतंत्र केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी, जिसका कुल परिव्यय ₹2481 करोड़ है। इस मिशन का लक्ष्य 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना है।

**अनुबन्ध**

**दिनांक 6.12.2024 तक कवर किए गए क्षेत्र, लाभान्वित किसानों की संख्या और पीकेवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2024-2025 तक जारी फंड के संदर्भ में प्रगति का राज्यवार विवरण**

| क्र. सं. | राज्य का नाम | क्षेत्र हेक्टेयर में | किसान | राज्य को जारी किया गया फंड (लाख रुपए में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 360805.39 | 746976.00 | 34089.49 |
| 2 | बिहार | 31561.30 | 42961.00 | 5077.08 |
| 3 | छत्तीसगढ | 101279.29 | 60294.00 | 9086.92 |
| 4 | गुजरात | 15334.41 | 17836.00 | 1431.12 |
| 5 | गोवा | 10000.00 | 12685.00 | 825.40 |
| 6 | हरियाणा | - | - | 104.56 |
| 7 | झारखंड | 25300.00 | 32714.00 | 3044.42 |
| 8 | कर्नाटक | 20900.00 | 37598.00 | 8773.36 |
| 9 | केरल | 94480.00 | 310841.00 | 5937.47 |
| 10 | मध्य प्रदेश | 74960.00 | 116360.00 | 14163.63 |
| **11** | **महाराष्ट्र** | **66756.00** | **87350.00** | **12444.51** |
| 12 | ओडिशा | 45800.00 | 70026.00 | 9273.10 |
| 13 | पंजाब | 6981.00 | 6676.00 | 2685.05 |
| 14 | राजस्थान | 148500.00 | 217479.00 | 17166.26 |
| 15 | तमिलनाडु | 32940.00 | 37886.00 | 4250.35 |
| 16 | तेलंगाना | 8100.00 | 18405.00 | 2581.78 |
| 17 | उत्तर प्रदेश | 171184.80 | 273672.00 | 21353.58 |
| 18 | पश्चिम बंगाल | 21400.00 | 48585.00 | 3628.01 |
| 19 | असम | 4400.00 | 9740.00 | 3012.55 |
| 20 | अरुणाचल प्रदेश | 380.00 | - | 234.56 |
| 21 | मिजोरम | 780.00 | 2054.00 | 469.61 |
| 22 | मणिपुर | 600.00 | - | 163.46 |
| 23 | नागालैंड | 480.00 | - | 333.72 |
| 24 | सिक्किम | 63000.00 | - | 1848.88 |
| 25 | त्रिपुरा | 1000.00 | - | 687.05 |
| 26 | मेघालय | 900.00 | 2275.00 | 448.12 |
| 27 | हिमाचल प्रदेश | 18747.87 | 44932.00 | 3354.52 |
| 28 | जम्मू एवं कश्मीर | 5160.00 | 12900.00 | 839.81 |
| 29 | उत्तराखंड | 140740.00 | 301109.00 | 41947.28 |
| 30 | अंडमान और निकोबार | 14491.00 | 3590.00 | 163.00 |
| 31 | दमन और दीव | 642.18 | 1324.00 | 235.55 |
| 32 | दादरा एवं नगर हवेली | 500.00 | - | 1000.00 |
| 33 | दिल्ली | - | - | 471.45 |
| 34 | पुदुचेरी | - | - | 44.75 |
| 35 | चंडीगढ़ | - | - | 77.42 |
| 36 | लक्षद्वीप | - | - | 227.20 |
| 37 | लद्दाख | 10480.00 | 14070.00 | 404.85 |
| | **कुल** | **14,98,583.24** | **25,30,338.00** | **211879.86** |

**नोट:** कुल जारी फंड **2,170.30 करोड़ रुपये** (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2,118.80 करोड़ रुपये और अन्य व्यय के लिए 51.50 करोड़ रुपये सहित)

*****